(96)

बईजलास भूपेन्द्र कुमार वर्मा तहसीलदार, बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या/01/14

निर्णय दिनांक 15.02.2017

श्री चेतनदास पिता जमनादास वैष्णव निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

श्री सुशील कुमार पिता मांगीलाल सोनी निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज.)

अप्रार्थी

कार्यवाही अर्न्तगतः 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितिः– श्री सुधीर कुमार बिल्लु अभिभाषक–प्रार्थी
श्री देवेन्द्र सिंह चुण्डावत अभिभाषक–अप्रार्थी

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चेतनदास ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ कि है की मौजा सुलीमगरा की आ.न. 196,199,200 एंव 201 किता–4 रकबा 0.3800 हैक्टयर भूमि में 1/2 हिस्सा अंकित होकर मेरे हिस्से की भूमि पर जाने का रास्ता सूलीमगरा चेची रोड से आता जाता है। मांगीलाल सोनी मेरे उक्त मार्ग पर पत्थर कोट कर रास्ता बन्द कर दिया है। जिसे खुलवाया जाना आवश्यक है, मूल प्रार्थना पत्र भू–अभिलेख निरीक्षक बेगूं को वास्ते जांच भेजा गया।

भू–अभिलेख निरीक्षक बेगूं ने प्रार्थना पत्र जांच कर बताया कि आराजी न0 196, 199, 200 एंव 201 पर पहुंच कर हमराह पटवारी बेगूं एंव मौतबिरान के समक्ष जांच की गई। भू–अभिलेख निरीक्षक बेगूं ने बताया की उक्त आराजी पर प्रार्थी के साथ दर्ज सहखातेदारान अपने –अपने हिसाब एंव सहमति से मौके पर विभाजन कर काबिज है। उक्त मौके पर विभाजित भूमि में प्रार्थी के हिस्से में आराजी न0 201 रकबा 0.18है0 आती है। आ0न0 201 में जाने का रास्ता आराजी न0 199 में होकर जाता है। जिस पर विगत वर्षो से प्रार्थी आता–जाता है। एंव माल गाडी, टैक्टर, बैल, आदि से ले जाता है। जिसमें मौके पर आराजी न0 199 पश्चिमी मेड एंव आराजी न0 201 की पूर्वी मेड पर मिट्टी पडी होकर रास्ता बन्द है। बरूये रिकार्ड उक्त आराजी न0 श्री विनोद कुमार पिता भोपालसिंह पगारिया हिस्सा 1/4 प्रेमबाई पति स्व0 प्रभूलाल, शांतिलाल, राधेश्याम, गोपाललाल, ब्रदीबाई पिता प्रभूलाल सलावट 1/24 भूपेन्द्र सिंह पिता भोपाल सिंह महाजन हिस्सा 1/8 सुशील कुमार पिता मांगीलाल सोनी हिस्सा 1/12 चेतनदास, दयालदास पिता जमनादास वैष्णव हिस्सा 1/2 खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है।

उक्त रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक बेगूं प्राप्त होने पर पुनः भू–अभिलेख निरीक्षक बेगूं को भेजकर जांच अपूर्ण होने से पुनः जांच अतिक्रमण किसके द्वारा किया गया, ईट भट्टे का मालिक कौन है, रिपोर्ट चाही गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.13 14:07:41 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बेगूं
जिला चित्तौड़गढ़

तहसीलदार बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

भू.अभिलेख निरीक्षक बेगूं ने पुनः जांच कर निम्नप्रकार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

1– यह कि प्रश्नगत भूमि बरूये रेकार्ड श्री विनोद कुमार पिता भोपालसिंह पगारिया हिस्सा 1/4, प्रेमबाई पति स्व. बंशीलाल, शांतिलाल, राधेश्याम, गोपाललाल, बद्रीबाई पिसरान प्रभुलाल सलावट हिस्सा 1/24, भूपेन्द्रसिंह पिता भोपालसिंह महाजन हिस्सा 1/8, सुशील कुमार पिता मांगीलाल सोनी हिस्सा 1/12, चेतनदास, दयालदास पिता जमनादास बैरागी हिस्सा 1/2 के सहखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।

2– यह कि उक्त भूमि में मौके पर आ0न0 201 चेतनदास, दयालदास पिता जमनादास बैरागी काबिज है। जिसमें आने–जाने हेतु आ0न0 199 में होकर गुजरना पडता है। आ0न0 199 पर मौके पर सुशील कुमार पिता मांगीलाल सोनी निवासी बेगूं का कब्जा होकर बिना स्वीकृति के ईट भट्टा चला रखा है।

3– यह कि आ0न0 201 में जाने हेतु आ0न0 199 कि दक्षिणी मेड के सहारे होकर पश्चिमी मेड पार कर जाना पडता है, जो रास्ता नक्शे में दर्ज नही है। आ0न0 199 की पश्चिमी मेड पर मिट्टी डालकर रास्ता श्री सुशील कुमार पिता मांगीलाल सोनी निवासी बेगूं द्वारा बन्द कर दिया है। एंव मौके पर ईट भट्टा बिना स्वीकृति के चला रखा है। ईट भट्टे का क्षेत्रफल 65X125= 8125 वर्ग फीट है।

उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 21.04.2014 को आदेश पारित कर बताया कि चेतनदास, दयालदास पिता जमनादास बैरागी का 1/2 हिस्सा दर्ज होकर खातेदारी हक से दर्ज है मौके अनुसार आ0न0 201 श्री चेतनदास, दयालदास काबिज है। जिसमें आने–जाने हेतु आ0न0 199 में होकर गुजरना पडता है। आ0न0 199 सुशील कुमार पिता मांगीलाल का कब्जा होकर अवैध रूप से ईट भट्टा चलाया जा रहा है। प्रार्थी को आ0न0 201 में पहुचने हेतु आ0न0 199 की दक्षिणी मेड के सहारे होकर पश्चिमी मेड पर होकर जाना पडता है। पश्चिमी मेड पर श्री सुशील कुमार द्वारा मिट्टी डालकर रास्ता बन्द कर दिया। अतः रास्ता खुलवाने हेतु आदेश पारित किये गये। पालनार्थ भू.अभिलेख निरीक्षक बेगूं को लिखा गया। उक्त आदेश के विरूद्व श्री सुशील कुमार द्वारा पुनः विचार करने हेतु दिनांक 06.05.2014 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया एंव प्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी सुशील कुमार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। जिसे सुनवाई का अवासर दिया जाना न्यायोचित होगा। जिसे सुना नही गया। अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2014 को पुनः विचार कर प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद में होने से उक्त आदेश को खण्डित किया जाता है। अतः सुशील कुमार को पक्षकार बनाया गया।

तहसीलदार बेगूं
चित्तौड़गढ़

अप्रार्थी श्री सुशील कुमार की तरफ से श्री देवेन्द्र सिंह चुण्डावत ने अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया। एंव जबाब साक्ष्य प्रस्तुत की उभयपक्ष की सुनवाई पश्चात् इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6.7.15 को [illegible] निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी श्री सुशील कुमार द्वारा न्यायालय [illegible] चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत [illegible] जाने पर उक्त निर्णय दिनांक 19.08.15 को इस न्यायालय के निर्णय दि[illegible] रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ [illegible] पक्षकारान को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने को सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.13 14:07:41 IST
Reason: SelfAttested

देवेन्द्र सिंह चुण्डावत एंव शिवप्रकाश स्वर्णकार का अधिकार पत्र प्रस्तुत होकर दिनांक 21.12.15 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.14 का जबाब प्रस्तुत किया की आराजी न0 199 कोई रास्ता नही है। अप्रार्थी ने भूमि सन् 1995 में क्रय की गई है। आराजी न0 199 के चारो तरफ पत्थर की कोट बनाकर फाटक लगाई। तब से लगातार प्रार्थी ने 18.03.14 तक कोई आपत्ति नही की, इससे साबित है कि आराजी न0 199 में रास्ता नही था। प्रार्थी की आराजी पर आने –जाने का रास्ता भूतियाखाल से पुश्तैनी रास्ते पर बरसाती नाला के बीच पडता है। भूतियाखाल से आने–जाने में असुविधा रहती है। जिस पर खण्डित पुलिया की मरम्मत कराने बजाय अप्रार्थी को परेशान कर उसकी आराजी में आना अधिकृत रूप से नया रास्ता कायम कराना चाहता है। जिसका की उसे कोई अधिकार नही है। और न ही न्यायालय हाजा को नया रास्ता कायम करने का अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि सिद्वान्त के विपरीत होकर निरस्त योग्य है।

दौराने सुनवाई अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा से प्रकरण को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु स्थानान्तरण कराने बाबत् श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तोडगढ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो दिनांक 26.07.2016 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तोडगढ द्वारा अस्वीकार कर प्रकरण इस न्यायालय द्वारा निस्तारित करने के निर्देश प्राप्त हुये है। निर्णय प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

प्रार्थी एंव अप्रार्थी ने अपने– अपने अभिकथनों की पुष्टि कराने हेतु मौखिक साक्ष्य में विभिन्न गवाह के पूर्व में करांये गये बयानों को पुनः पढने की इस्तदुआ की है।

हमने उभयपक्ष के विद्यवान अभिभाषक की बहस सुन मनन किया एंव न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चित्तोडगढ के निर्णय दिनांक 16.09.15 में प्रद्वत निर्देशों का अध्ययन किया जहां तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत प्रथम 45 दिवस के अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को होने का विधिक तर्क है। हम इस तर्क से सहमत है। किन्तु प्रश्नगत आराजी न0 199, 202, 203 वाके राजस्व ग्राम सूलीमगरा स्थिति है। जो नगरीय क्षेत्र में आता है न की किसी पंचायत क्षेत्र में, इस तथ्य से बकील अप्रार्थी ने भी अस्वीकार नही किया है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का न हो अप्रार्थीगण की आपत्ति कोई विधिसंगत नही ठहरती है। विद्यमान अभिभाषक अप्रार्थी ने जो निर्णय दृष्टांत प्रस्तुत किये है। हम उनका सम्मान करते है। इन निर्णयों द्वारा माननीय न्यायालयों ने न्याय व्यवस्था बताई है कि नया रास्ता कायम करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहुगां की आराजी न0 199, 200, 201,196 वाके ग्राम सूलीमगरा तहसील बेगूं प्रार्थी एंव अप्रार्थी अन्य सह–खातेदारों के साथ सह– खातेदारी से दर्ज राजस्व रिकार्ड संयुक्त खातेदार है। विधिक रूप से जब तक आराजीयात विभाजित न हो [illegible] होने से इन्कार नही किया जा सकता हैं। विद्यवान अभिभाषक ने अ[illegible] जबा[illegible] यह उल्लेख किया की आराजी न0 199 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे [illegible] आराजी न0 201 पर जाने का कदीमी रास्ता भूतियाखाल [illegible] आराजी न0 199 मे है। अप्रार्थी यह प्रमाणित कराने [illegible] प्रार्थी की आराजी में पहुचनें के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता अन्य उपलब्ध हो एवं चेंची

तहसीलदार बेगूं चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmendr Swami
Date: 2024.05.13 14:07:41 IST
Reason: SelfAttested

रोड से अराजी न0 199 में होकर अपनी आराजी में जाने का नही हो अन्य साक्ष्य का भी अध्ययन किया। अप्रार्थी स्वंय ही अपने बयानों में स्वीकार करता है कि भूतियाखाल एक बरसाती नाला है। एंव उसमें पानी बहता है। ऐसी स्थिति में किसी भी हद तक मानने योग्य तथ्य नही रहते है। की भूतियाखाल से आराजी न0 199, 200, 201 पर आने–जाने का कदीमी रास्ता हो। आराजी न0 204 जो रोड है। आराजी न0 199 व 200 इस रोड से लगी हुयी है। इन्ही खातेदारों की आराजी न0 201 भी है। स्वतः यह सिद्व हो जाता है कि आराजी न0 201 में आराजी न0 204 से आराजी न0 199 की दक्षिणी मेड पर पूर्व पश्चिम जाने का रास्ता विद्यमान था, जिसे अप्रार्थी ने बन्द कर दिया है। पुनः स्थापित किया जाना न्यायोचित ठहरता है। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहुगां एंव कई न्यायालयों ने भी अपने निर्णयों में व्यवस्था बताई है कि प्रत्येक खेत का या आराजी का अलग–अलग रास्ता राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित नही है। यह एक कस्टमरी राईटस है। यही स्थिति प्रस्तुत प्रकरण में दृष्टवय होती है। एंव पत्रावली में उपलब्ध पर्चामौका दिनांक 29.03.2014 से भी दृष्टवय है, अपीलान्ट द्वारा अपीलीय पर्चा–मौका दिनांक 29.3.2014 में उल्लेखित रास्ते के क्रम में न्यायालय का ध्यानार्षण कर निवेदन किया की आराजी न0 199 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे होकर पश्चिमी मेड पर जाने का उल्लेख किया है। किन्तु आराजी न0 199 में रास्ता होकर जाने का कोई उल्लेख नही है। मैं यहाँ यह उल्लेख करना चाहुगां की आराजी न0 199 के दक्षिण में आराजी न0 197, 198 स्थित है। आराजी न0 199 व 198 के बीच कोई रास्ता स्थित हो अपने आप में नही यह तथ्य सिद्व है की आराजी न0 199 की दक्षिणी मेड पर स्थित रास्ते का उपयोग आराजी न0 201 पर जाने का रहा हो, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत प्रकरण समरीट्राईल के होते है। एंव पूर्व में संचालित रास्ते यदि किसी के द्वारा अवरूद्व कर दिये जाते है तो उन्हे पुनः खुलाने की व्यवस्था उक्त नियमों के तहत संवैधानिक रूप से तहसीलदार को पुनः स्थापित करने को प्राप्त है ऐसी स्थिति गें यह प्रकरण इस न्यायालय को सुनवाई एंव क्षेत्राधिकार का है। प्रस्तुत साक्ष्य एंव जांच से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिद्व होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार कर ग्राम सूलीमगरा की आराजी न0 199 की दक्षिणी मेड पर होकर आराजी न0 201 पर जाने के लिए प्रार्थी आराजी न0 199 एंव 201 का सह–खातेदार है। खातेदारों को इन आराजीयात में आने–जाने का रास्ता जो की अप्रार्थी ने बन्द कर दिया है। पुनः खुलवाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का मलबा डालकर अथवा फाटक लगाकर अवरूद्व पैदा कर दिया हो तो अप्रार्थी उसे हटा ले, आवश्यकता पड़े तो पुलिस मदद भी ली जावें। पालना हेतु भू.अभिलेख निरीक्षक बेगूं को अधिकृत किया जावे एंव पालना रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

निर्णय टंकित करा सरे इजलाज सुनवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(भूपेन्द्र कुमार वर्मा)
तहसीलदार
बेगूँ

तहसीलदार बेगूँ चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.13 14:07:41
Reason: SelfAttested